राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक:F.2(Misc)AS/I/Cell/16/ 1017 दिनांक 29/02/2016

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा नवीन पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन हो जाने के उपरान्त नवीन पदस्थापन कार्यालय की DSC ना बनाकर किसी अन्य अधिकारी की DSC का उपयोग किया जाकर, निविदाऐं अपलोड/डाऊनलोड किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्वयं/वर्तमान पदस्थापन स्थान के नाम से जारी DSC का उपयोग कर ही, निविदाऐं अपलोड/डाऊनलोड किये जाने की कार्यवाही सम्पादित करे, साथ ही अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेजो पर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अकिंत किये जावे। निविदा खोलने वाली समिति द्वारा निविदा खोलने की कार्यवाही का पृष्ठांकन भी निविदा प्रपत्र पर कमेटी द्वारा अकिंत किया जावे, जिससे निविदा प्रकिया की पारदर्शिता बनी रहे।

सभी सम्भाग स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से भी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करे तथा उक्त कार्यवाही की पालना अधीनस्थ कार्यालयों से भी सुनिश्चित करावे, दिनांक 01.03.2016 के उपरान्त अपलोड/डाऊनलोड किये गये निविदा दस्तावेजो पर उक्त पालना नही होने पर उक्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

भवदीय,

(विनोद शाह)
अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:F.2(Misc)AS/I/Cell/16/ 1018 – 1021 दिनांक 29/02/2016

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता,जल सरांधन सम्भाग, कोटा/हनुमानगढ/नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर/एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. जयपुर
2. वित्तिय सलाहकार, जल ससांधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
4. उप निदेशक (आई.टी.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड किये जावे।

उप सचिव एवं प्रावै.सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर